रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2015/माघ 22, 1936
No. 340] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2015/MAGHA 22, 1936

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015

**का.आ. 430(अ).**—जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-30 के किमी 296/2-4 में इन्द्रावती पुल पर प्रयुक्त शुल्क का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों का प्रयोग करने के लिए शुल्क) नियम, 1992 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जा रहा है ।

और जबकि पूर्वोक्त परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई कोई मौजूदा प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना नहीं है ।

अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-30 के किमी 296/2-4 में इन्द्रावती पुल पर प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण से एतद्वारा मुक्त करती है क्योंकि प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के माध्यम से सा.का.नि. 15(अ) दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क 40% घटाने के पश्चात और सा.का.नि. 26(अ) दिनांक 16.01.2014 के अनुसार संरचना की लंबाई को दस के गुणक से गुणा करके राजमार्ग की लंबाई के समतुल्य बदलने में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के लिए मासिक व्यय की तुलना में कम होगा जो मासिक राजस्व के रूप में अर्थक्षम नहीं होगा ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/36/2014/सीजी/पी-5]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2015

**S.O. 430(E).—**Whereas the user fee at Indrawati bridge at Km. 296/2-4 of NH-30 in the State of Chhattisgarh is being collected by the State Government of Chhattisgarh in accordance with the National Highways (Fees for use of permanent bridges) Rules, 1992.

And whereas there is no existing user fee notification issued by Ministry of Road Transport and Highways for the collection of user fee for the aforesaid project.

Now, in exercise of the powers conferred by rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 05.12.2008, the Central Government hereby exempts Indrawati bridge at Km. 296/2-4 of NH-30 in the State of Chhattisgarh from levy of user fee as the collection of user fee would not be viable as the monthly revenue through user fee collection would be less than monthly expenditure for collection of user fee after reducing the user fee to 40% as per G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011 and converting the length of the structure into an equivalent length of highway by multiplying by a factor of ten as per G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014.

[F. No. RW/NH-12037/36/2014/CG/P-5]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.